

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मुकदमा पिरण विपक्षी पेरा
 पत्रावली संख्या 72 सन 174/17

क	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
17/1/19	<p>पत्रावली पेरा 52। अधिवक्ता, जार्ज व जार्जिया & भावाके दिलवाई गई मनु. 17 अतः मनुपस्थित रहने पर प्रकृत मरम हाफली/मरम पंरती से धारिक किया जाता है। पत्रावली कंसल लुकाट होकर मरमट से इस हो</p>	
	<p>निर्णय हुआ गया</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) मावली</p>

